प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़**

**रिट याचिका क्रमांक–131/2001**

**आदेश पारित दिनांक–23/01/2006**

**संजीव कुमार सिंह व अन्य**

**बनाम**

**भारत संघ व अन्य**

**एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति सतीश के अग्निहोत्री,**

**याचिकाकर्ता** : 1. संजीव कुमार सिंह, आत्मज श्री नेगेश्वर सिंह, आयु लगभग 30 वर्ष।

2. राज नारायण यादव, आत्मज दया राम यादव, आयु लगभग 31 वर्ष।

3. वीरेंद्र चौधरी, आत्मज रामचन्द्र चौधरी, आयु लगभग 31 वर्ष।

4. प्रमोद सिंह, आत्मज गोजो सिंह, आयु लगभग 31 वर्ष।

5. जितेंद्र बहादुर पटेल, आत्मज मेवा राम, आयु लगभग 29 वर्ष।

6. श्रीराम सिंह यादव, आत्मज हरहंगी सिंह, आयु लगभग 30 वर्ष।

7. रामराज कुमार, आत्मज बंशीलाल, आयु लगभग 29 वर्ष

सभी विश्रामपुर, तहसील–सूरजपुर, जिला–सरगुजा(छ.ग) के निवासी हैं।

8. जवाहर लाल राजवाड़े, आत्मज जयराम राजवाड़े, आयु लगभग 26 वर्ष

निवासी– ग्राम– कुमदा बस्ती, तहसील–सूरजपुर, जिला–सरगुजा(छ.ग)।

9. राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल, आत्मज श्री आर सी जायसवाल, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी– ग्राम– करंवा, तहसील–सूरजपुर, जिला–सरगुजा(छ.ग)।

10. सुशील मिश्रा, आत्मज नेगेश्वर मिश्रा, आयु लगभग 28 वर्ष

निवासी– अंबिकापुर, जिला–सरगुजा(छ.ग)।

**बनाम**

**उत्तरवादी:** 1. भारत संघ, द्वारा सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली।

2. अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)।

3. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत मार्ग, बिलासपुर(छ.ग)।

4. महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, विश्रामपुर, जिला–सरगुजा(छ.ग)।

5. कलेक्टर, सरगुजा, अंबिकापुर(छ.ग)।

6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), सूरजपुर, जिला–सरगुजा(छ.ग)।

7. रमानंद, आत्मज रघु, आयु लगभग 30 वर्ष,

निवासी –ग्राम– कमलापुर, तहसील व जिला– सरगुजा(छ.ग)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. शेओ बालक, आत्मज रघु, आयु लगभग 28 वर्ष,

निवासी –ग्राम– कमलापुर, तहसील व जिला– सरगुजा(छ.ग)।

---

याचिककर्ताओं की ओर से श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव वारिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री वी के पाण्डेय अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 2, 3 व 4 की ओर से श्री प्रवीण दास, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 1, 5, 6, 7 व 8 की ओर से कोई नहीं।

---

**आदेश**

**(25 जनवरी 2006)**

यह निम्नलिखित निर्णय सतीश के अग्निहोत्री, न्यायाधीश के द्वारा पारित किया गया।

1. याचिकाकर्ता सरगुजा जिले के काशकेल, लक्ष्मणपुर और कमलापुर गांवों के निवासी हैं। उनके पास जमीन थी, जिसका विवरण इस प्रकार है:–

| याचिकाकर्ता के नाम | स्थान/ग्राम | क्षेत्रफल | खसरा क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1. संजीव कुमार सिंह | काशकेल | 405 | 249/1, 250/2(ब), 236/2 व 237 |
| 2. राज नारायण सिंह | लक्ष्मणपुर | 344 | 137/7 |
| 3. वीरेंद्र चौधरी | कमलापुर | 405 | 114 |
| 4. प्रमोद सिंह | काशकेल | 405 | 5/1, 23/1, 358/1 व 253/1 |
| 5. जितेंद्र बहादुर पटेल | काशकेल | 405 | 38/2, 43/2 |
| 6. श्रीराम सिंह | काशकेल | 405 | 1) 534/1, 624, 398/1, 402/1 व 528/1 |
| 7. रामराज कुमार | कमलापुर | 405 | 42/2 |
| 8. जवाहर लाल राजवाड़े | कमलापुर | 405 | 506/1, 541/2 |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल | काशकेल | 405 | 17/2 |
| 10. सुशील मिश्रा | काशकेल | 405 | 358/2 |

2. जैसा कि ऊपर बताया गया है, याचिकाकर्ताओं की भूमि कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1957') के प्रावधानों के अंतर्गत अर्जित की गई थी। अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिसूचना 21.8.1996 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था(उपाबंध पी/1) जिसके उपरांत याचिकाकर्ताओं के साथ–साथ संबंधित गांवों और अन्य निकटवर्ती गांवों के अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों की भूमि अर्जित की गई थी। तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार की 25 सितंबर 1991 की पुनर्वास नीति (उपाबंध आर/1) के अनुसार, जिस परिवार की 2/3 कृषि भूमि अर्जित की गई थी, उसका एक व्यक्ति उपलब्धता के आधार पर एस.ई.सी.एल द्वारा रोजगार पाने के लिए पात्र होगा। उक्त नीति के अंतर्गत 'रोजगार सुविधा' का प्रावधान नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"3. रोजगार सुविधा

1) जिस परिवार की आवासीय भूमि एवं एक तिहाई से अधिक भूमि अर्जित की गई हो, उस परिवार का एक व्यक्ति एस.ई.सी.एल द्वारा प्रथम प्राथमिकता के आधार पर रोजगार पाने के लिए पात्र होगा।

2) प्रत्येक परिवार का एक व्यक्ति, जिसकी असिंचित भूमि 3 एकड़ से अधिक तथा सिंचित भूमि 2 एकड़ से अधिक अर्जित की गई है, वह एस.ई.सी.एल द्वारा द्वितीय प्राथमिकता के आधार पर रोजगार पाने के लिए पात्र होगा।

3) ऐसे परिवार का एक व्यक्ति, जिसकी संपूर्ण कृषि भूमि और/या आवासीय भूमि अर्जित कर ली गई हो, एस.ई.सी.एल द्वारा तृतीय प्राथमिकता के आधार पर रोजगार पाने के लिए पात्र होगा।

4) ऐसे परिवार का एक व्यक्ति, जिसकी 2/3 कृषि भूमि अर्जित हो गई है, उपलब्धता के आधार पर एस.ई.सी.एल द्वारा रोजगार पाने के लिए पात्र होगा।

5) संबंधित क्षेत्र के विस्थापित भूमिहीन, जिनकी आवश्यक आजीविका प्रभावित हुई है, उन्हें राज्य सरकार की सहायता से स्व–रोजगार योजना के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

एस.ई.सी.एल विस्थापित परिवारों के सदस्यों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का मूल्यांकन करेगा और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था एस.ई.सी.एल द्वारा की जाएगी।"

3. याचिकाकर्ता, जो कथित तौर पर भूमिस्वामियों के परिवार के सदस्य हैं, ने अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत अपनी भूमि के अर्जन के लिए राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के अनुसार रोजगार के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर रोजगार देने से मना कर दिया गया कि, बाद में, दिनांक 21.12.1995 (उपाबंध R/2) के संशोधन द्वारा, दिनांक 25.9.1991 की पुनर्वास नीति में इस सीमा तक संशोधन किया गया है कि परिवार का कोई सदस्य, जिसकी आवासीय भूमि और कृषि भूमि, जैसा कि दिनांक 25.9.1991 की नीति में कहा गया है, रोजगार के लिए तभी पात्र होगा जब वह लगातार 20 वर्षों से भूमि का धारक हो और उसने उसी स्थान पर अपनी शिक्षा प्राप्त की हो।

4. व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अनुसार यह याचिका दायर की है, जिसमें उत्तरवादी संख्या 1 से 6 के विरुद्ध निर्देश देने की प्रार्थना की गई है कि उत्तरवादी संख्या 1 से 6 को नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया जाए, जैसा कि उन्होंने उत्तरवादी संख्या 7 और 8 के प्रकरण में किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंद्र श्रीवास्तव और विद्वान अधिवक्ता श्री वी. के. पाण्डेय ने निवेदन किया कि समान स्थिति वाले कई व्यक्ति, जिनकी भूमि उसी अधिसूचना के तहत अर्जित की गई थी और वे या तो उसी गाँव या अन्य निकटवर्ती गाँवों के निवासी थे, को रोज़गार दिया गया है। उत्तरवादी संख्या 7 और 8 उन व्यक्तियों में से हैं जिन्हें उसी अधिसूचना के अनुसार जारी की गई मूल नीति दिनांक 25.9.1991 में संशोधन के बाद उनकी भूमि अर्जित होने पर नियुक्ति दी गई थी। यह तर्क दिया गया कि उत्तरवादी संख्या 1 से 6 की नीतियाँ भेदभावपूर्ण, मनमानी और अनुचित हैं, क्योंकि उत्तरवादी संख्या 1 से 6 ने कुछ व्यक्तियों के पक्ष में "चुन–चुनकर" के सिद्धांत को लागू किया है और बिना कोई कारण बताए याचिकाकर्ताओं के दावे को निरस्त कर दिया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि दिनांक 21.12.1995 के संशोधन द्वारा नीति में परिवर्तन भी मनमाना, अनुचित और असंवैधानिक है। तथापि, इस याचिका में इस नीति को कोई चुनौती नहीं दी गई थी।

6. उत्तरवादी संख्या 2 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण दास ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि यह सत्य है कि कुछ समान स्थिति वाले व्यक्तियों, जिनकी भूमि याचिकाकर्ताओं के

साथ अर्जित की गई थी, को रोजगार प्रदान किया गया था और यह दिनांक 21.12.1995 की संशोधित नीति के विपरीत था, फिर भी, याचिकाकर्ताओं को समान अनुतोष प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि याचिकाकर्ता रोजगार के राहत के अधिकारी नहीं हैं, प्रथमतः, पुनर्वास नीति में संशोधन के कारण, और द्वितीयतः, उत्तवादियों द्वारा की गई एक गलती को याचिकाकर्ताओं के प्रकरण में भी जारी रहने नहीं दिया जा सकता है ।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और याचिका में संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया है।

8. प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने से पहले, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस न्यायालय ने दिनांक 11.11.2005 के आदेश द्वारा उत्तरवादी संख्या 2 से 4 को भूमिस्वामी के नाम, भूमि का क्षेत्रफल, भूमि अधिग्रहण की तिथि, भुगतान किए गए क्षतिपूर्ति की राशि, यदि कोई हो, और विस्थापित परिवार के किसी सदस्य को दी गई नियुक्ति, यदि कोई हो, का विवरण देते हुए एक सारणी दाखिल करने का निर्देश दिया था। उत्तरवादी संख्या 2 से 4, इस न्यायालय के निर्देश के उपरांत भी, वर्तमान याचिकाकर्ताओं और समान स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों के तथ्यों को दर्शाने वाली आवश्यक सारणी दाखिल करने में विफल रहे। उत्तरवादी संख्या 2 से 4 ने आदेश का पालन नहीं किया और जानबूझकर किसी न किसी बहाने से जानकारी छिपाई। उत्तरवादी संख्या 2 से 4 के आचरण से स्पष्ट है कि उत्तरवादी संख्या 2 से 4 ने ऐसे भूमिसवामियों के प्रकरण में जिनकी भूमियाँ 21.12.1995 के बाद अर्जित की गयी हैं, 21.12.1995 की संशोधित पुनर्वास नीति का समान रूप से और ईमानदारी से पालन नहीं किया है । उत्तरवादी संख्या 2 से 4 ने स्वयं संशोधित पुनर्वास नीति का उल्लंघन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उत्तरवादी संख्या 2 से 4 के विद्वान अधिवक्ताओं ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि कुछ समान स्थिति वाले व्यक्तियों को रोजगार से क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है, और कुछ समान स्थिति वाले व्यक्तियों के पक्ष में राहत प्रदान करने से याचिकाकर्ता संशोधित पुनर्वास नीति दिनांक 21.12.1995 के अनुसार समान राहत का दावा करने के अधिकारी नहीं हो सकते।

10. रमना दयाराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण एवं अन्य, [एआईआर 1979 एससी 1628] में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:

> "21. यह नियम अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत से भी प्रत्यक्ष रूप से उद्भूत है। ई. पी. रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, [(1974) 2 एससीआर 348: (एआईआर 1974 एससी 555)] और मेनका गांधी बनाम भारत संघ, [(1978) 1 एससीसी 248: (एआईआर 1978

एससी 597)] में इस न्यायालय के निर्णयों के परिणामस्वरूप अब यह सुस्थापित हो चुका है कि अनुच्छेद 14 राज्य की कार्रवाई में मनमानी पर प्रहार करता है और निष्पक्षता और व्यवहार की समानता सुनिश्चित करता है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य की कार्रवाई मनमानी न हो, बल्कि कुछ सुसंगत और प्रासंगिक सिद्धांत पर आधारित हो, जो गैर–भेदभाव पूर्ण हो: यह किसी भी बाहरी या अप्रासंगिक विचार से निर्देशित न हो, क्योंकि यह समानता का खंडन होगा। तर्कसंगतता और विवेकशीलता का सिद्धांत, जो विधिक और दार्शनिक रूप से समानता या मनमानी न करने का एक अनिवार्य तत्व है, अनुच्छेद 14 द्वारा प्रतिपादित किया गया है, और इसे राज्य की प्रत्येक कार्रवाई की विशेषता होनी चाहिए, चाहे वह विधि के अधिकार के तहत हो या विधि बनाए बिना कार्यपालक शक्ति के प्रयोग में हो। इसलिए, राज्य किसी तीसरे पक्ष के साथ संविदात्मक या अन्यथा संबंध स्थापित करने में मनमाना कार्य नहीं कर सकता, किन्तु उसकी कार्रवाई किसी ऐसे मानक या मानदंड के अनुरूप होनी चाहिए जो तर्कसंगत और गैर–भेदभावपूर्ण हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम जुगल किशोर एवं अन्य, (1988) 1 एससीसी 626 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है: –

"10. इस न्यायालय ने लगातार इस बात पर ज़ोर दिया है कि जिस पक्ष के पास कोई ऐसा दस्तावेज़ है जो प्रकरण में न्याय करने में सहायक होगा, उसका यह कर्तव्य है कि वह उक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत करे, और ऐसे पक्ष को सबूत के भार के अमूर्त सिद्धांत का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह कर्तव्य राज्य के उन निकायों, जैसे अपीलकर्ता, के मामले में और भी अधिक बढ़ जाता है, जिन पर निष्पक्ष रूप से कार्य करने का दायित्व है।"

11. चंडीगढ़ प्रशासन एवं अन्य बनाम जगजीत सिंह एवं अन्य [(1995 1 सुप्रीम कोर्ट केस 745)] में सर्वोच्च न्यायालय ने, उत्तरवादी संख्या 2 से 4 के विद्वान अधिवक्ताओं पर विश्वास किया है एवं निम्नलिखित निर्णय दिया है:–

"8. हमारा मत है कि जिस आधार या सिद्धांत पर उच्च न्यायालय ने रिट याचिका स्वीकार की है, वह विधिक रूप से टिकने योग्य नहीं है और सिद्धांततः असमर्थनीय है। चूँकि हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण आए हैं, इसलिए हम एसे तर्कों पर विस्तार से विचार करना आवश्यक समझते हैं। सामान्यतः, केवल यह तथ्य कि उत्तरवादी प्राधिकारी ने समान स्थिति वाले किसी अन्य व्यक्ति के प्रकरण में कोई विशेष आदेश

पारित किया है, भेदभाव के तर्क पर याचिकाकर्ता के पक्ष में रिट जारी करने का आधार कभी नहीं हो सकता। दूसरे व्यक्ति के पक्ष में दिया गया आदेश वैध और मान्य हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है। याचिकाकर्ता के प्रकरण में इसका पालन करने का निर्देश देने से पहले इसकी जाँच की जानी चाहिए। यदि दूसरे व्यक्ति के पक्ष में दिया गया आदेश विधि के विपरीत पाया जाता है या उसके प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित नहीं पाया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि ऐसे अवैध या अनुचित आदेश को उत्तरवादी प्राधिकारी को अवैधता दोहराने या कोई अन्य अनुचित आदेश पारित करने के लिए बाध्य करने वाली रिट जारी करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। उच्च न्यायालय की असाधारण और विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। केवल इसलिए कि उत्तरवादी–प्राधिकारी ने एक अवैध/अनुचित आदेश पारित किया है, यह उच्च न्यायालय को उस अवैधता को बार–बार दोहराने के लिए प्राधिकारी को बाध्य करने का अधिकार नहीं देता। अवैध/अनुचित कार्रवाई को ठीक किया जाना चाहिए, यदि यह वास्तव में विधि के अनुसार किया जा सकता है, जहाँ भी संभव हो, न्यायालय को उचित प्राधिकारी को विधि के अनुसार ऐसे गलत आदेशों को ठीक करने का निर्देश देना चाहिए, लेकिन यदि इसे ठीक नहीं किया जा सकता है, तो यह देखना कठिन होगा कि कैसे इसे इसके दोहराए जाने का आधार बनाया जा सकता है। उत्तरवादी–प्राधिकारी को अवैधता को दोहराने का निर्देश देने से इनकार करके, न्यायालय पहले के अवैध कार्य/आदेश को क्षमा नहीं कर रहा है, न ही ऐसा अवैध आदेश भेदभाव की वैध शिकायत का आधार बन सकता है। ऐसे तर्कों को लागू करना विधि के हितों के लिए हानिकारक होगा और जनहित को अपूरणीय क्षति पहुँचाएगा। यह विधि और विधि के शासन का उल्लंघन होगा। निःसंदेह, यदि दूसरे व्यक्ति के पक्ष में आदेश वैध और न्यायोचित पाया जाता है, तो इसका पालन किया जा सकता है और याचिकाकर्ता को समान राहत दी जा सकती है यदि यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता का प्रकरण दूसरे व्यक्ति के प्रकरण के समान है। लेकिन फिर, याचिकाकर्ता के प्रकरण की जांच करने के स्थान पर, जो अदालत में मौजूद है और राहत की मांग कर रहा है, दूसरे व्यक्ति के प्रकरण की जांच उसकी अनुपस्थिति में क्यों की जाए? किसी अन्य व्यक्ति, जो प्रकरण के समक्ष नहीं है और न ही उसका प्रकरण है, के प्रकरण में दिए गए आदेश या की गई कार्रवाई की सत्यता की जांच करने की तुलना में, अपने प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में मांगी गई राहत के लिए न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता के अधिकारों की जांच करना क्या अधिक उपयुक्त और सुविधाजनक नहीं है। हमारी सुविचारित राय में, असाधारण स्थितियों को छोड़कर, ऐसा तरीका न तो उचित होगा और न ही वांछनीय। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय विधि और रिट क्षेत्राधिकार को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियंत्रित करने वाले सर्वमान्य मानदंडों की अनदेखी नहीं कर सकता और यह नहीं कह सकता कि चूँकि एक प्रकरण में कोई विशेष आदेश पारित किया गया है या कोई विशेष कार्रवाई की गई है, इसलिए उसे दोहराया जाना चाहिए, भले ही वह आदेश या कार्यवाही विधि के विपरीत हो या अन्यथा। प्रत्येक प्रकरण का निर्णय उसके गुण–दोष, तथ्यात्मक और विधिक आधार पर, सुसंगत विधिक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए। प्राधिकारियों के आदेशों और कार्यों की तुलना न तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों से और न ही उन्हें न्यायिक जगत में समझे जाने वाले पूर्व उदाहरणों के स्तर से की जा सकती। (अपनी अर्ध–न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के प्रकरण में क्या स्थिति है, इस पर हम कोई मत प्रकट नहीं करते है । उचित प्रकरण आने पर इस पर विचार किया जा सकता है)।"

12. सर्वोच्च न्यायालय ने फरीदाबाद सीटी स्कैन सेंटर बनाम डी.जी. स्वास्थ्य सेवाएँ एवं अन्य {(1997) 7 एस.सी.सी. 752} में, उत्तरवादी संख्या 2 से 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत, निम्नलिखित निर्णय दिया है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"3. हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि अनुच्छेद 14 उन प्रकरणों में कैसे लागू हो सकता है जहाँ दूसरों के पक्ष में गलत आदेश जारी किए गए हों। अनुच्छेद 14 की सहायता से गलत आदेशों को इस आधार पर कायम नहीं रखा जा सकता कि ऐसे गलत आदेश पहले किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में पारित किए गए थे और इसलिए, अगर उनके विरुद्ध सही आदेश पारित किए जाते हैं तो दूसरों के साथ भेदभाव होगा। वास्तव में, भारत संघ (रेलवे बोर्ड) बनाम जे. वी. सुभैया के प्रकरण में, उसी विद्वान न्यायाधीश ने अपने निर्णय के कंडीका 21 में कहा है कि अनुच्छेद 14 के अनुसार निहित समानता का सिद्धांत तब लागू नहीं होता कि जब किसी आदेश पर भरोसा किया गया है वह विधि की दृष्टि से अस्थिर और अवैध है। ऐसा आदेश यह मानने का आधार नहीं बन सकता कि अनुच्छेद 14 के अनुसार अन्य कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जाता है। इसलिए, वर्तमान प्रकरण में छूट अधिसूचना का लाभ याचिकाकर्ता को इस आधार पर नहीं दिया जा सकता कि ऐसा लाभ दूसरों को गलत तरीके से दिया गया है। सम्मान के साथ, मेडिवेल अस्पताल का फैसला इस बिंदु पर सही विधि नहीं बनाता है।

13. यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर भेदभाव के आधार पर गलत व्यवस्था को कायम रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती हैं । हालाँकि, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में, विस्थापित भूमिधारकों के परिवार के सदस्यों को 21.12.1995 के संशोधन से पहले

नियुक्ति दी गई थी, और 20 वर्षों तक भूमि पर स्वामित्व और उसी स्थान पर शिक्षा की कोई शर्त नहीं थी। हालाँकि, संशोधित प्रावधान की वैधता को चुनौती नहीं दी गई है, लेकिन वर्तमान प्रकरण में, बिना किसी औचित्य या उचित संबंध स्थापित किए, अचानक उनकी पुनर्वास नीति में संशोधन करने की मांग की गई। न्याय के हित में यह वांछनीय है कि याचिकाकर्ताओं के प्रकरण में भी उत्तरवादी संख्या 2 से 4 द्वारा विधि के अनुसार विचार किया जाए, विशेष रूप से इस तथ्य के ध्यान में रखते हुए कि यह एक लाभकारी नीति है, जिसका उद्देश्य विस्थापितों के पुनर्वास के साथ–साथ उनकी आय का उचित स्रोत और भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा प्रदान करना है, ताकि विस्थापित सम्मानजनक तरीके से जीवन जी सकें।

14. उपरोक्त कारणों से, उत्तरवादी संख्या 2 से 4 को निर्देश दिया जाता है कि वे भूमि अधिग्रहण के बदले में रोजगार प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ताओं के प्रकरणों पर विधि के अनुसार विचार करें।

15. उपरोक्त निर्देश के साथ, याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है।

व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**सही/–**
**सतीश के अग्निहोत्री**
**न्यायाधीश**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

(अधिवक्ता अभिषेक पांडे द्वारा अनुवाद किया गया)